ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि **1-4-2014** से **31-3-2017**

भाग –एक

1 (क) प्रस्तावना

ग्यारहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्परूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम –1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्याः पीसीएच–एचसी(5)–सी(15)एलएडी/2006–12669 दिनांक 7–4–16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्तिगत ग्राम पंचायत रानीताल विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे ।

प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री बोध राज	1–4–14 से 22–1–16
2	श्रीमति प्रेम लता	23–1–16 से 31–3–17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री सुशील कुमार	01-04 -2014 से 23-01-2017
2	श्री विजय कुमार	24-01-2017 से 31-03-2017

ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत रानीताल जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	रोकड बही व बैंक खातों से समाधान में अन्तर	0.06
2	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	17.51
3	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.57
4	11	वाउचर प्रस्तुत न करना	0.26

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत रानीताल विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिहं अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 12–9–17 से 19–9–17 तक ग्राम पंचायत रानीताल के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 02/2015, 03/2016 ,06/2016 व 11/2014, 09/2015, 11/2016 का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नही होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत रानीताल विकास खण्ड काँगड़ा जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफट के माध्यम से निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 शिमला–09 को शीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 19-09-17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत रानीताल से अनुरोध किया गया ।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत रानीताल द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्व–स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत रानीताल के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्व–स्त्रोतों (खाता क) की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	ब्यय	अन्तिम शेष
2014–15	62743	193189	255932	27259	228673
2015–16	228673	45464	274137	153489	120648
2016–17	120648	86076	206724	46317	160407

(ii) अनुदान

ग्राम पंचायत **रानीताल** के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता–ख) का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 तथा 2** में भी दिया गया है ।

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	710124	2541165	3251289	2156577	1094712
2015–16	1094712	6145117	7239829	6529048	710781
2016–17	710781	3421882	4132663	2381379	1751284

5 बैंक समाधान विवरणी

ग्राम पंचायत **रानीताल** का अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक की बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः–

(क)दिनांक 31–3–17 को रोकड बही के अनुसार शेष: –

(i) + (ii) ₹1911691

हस्तगत राशि ₹849

योग ₹1912540

(ख) दिनांक 31–3–17 को बैंक पास बुक के अनुसार शेषः– **परिशिष्ट–3** ₹1906158.74

अन्तर :– ₹6381.26

6 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना व रोकड बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर ₹0.06 लाखः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत **रानीताल** द्वारा हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकर्म, कराधान व भत्ते)नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नही की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–3–17 को रोकड बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹6381.26 का अन्तर बैंक खातों में अधिक शेष के रूप में है ।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार रोकड बहियों का बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है।

7 **वित्तीय नियमों की अनुपालना न करना** :–

7.1 रोकड बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

(क) रोकड बही के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड बही तथा बैंक खातों का मिलान नही किया गया था । जबकि हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3)के अनुसार पंचायतों

की रोकड बही व बैंक खातों का मिलान करना अनिवार्य था । इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) ग्राम पंचायत **रानीताल** द्वारा अंकेक्षण अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नही की गई थी और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई । अतः उक्त अवधि की बैंक समाधान विवरणी तैयार करके इसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

7.2 लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्त शेष निकालना अपेक्षित था तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट,लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत **रानीताल** में रोकड बही के रखरखाव में इन नियमों की अनुपालना नही की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस प्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए ।

7.3 **वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक भाग आय के लिए व दूसरा ब्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक माह के लिए अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन देनों के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी व मासिक तथा प्रगतिशील योग की प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है । ग्राम पंचायत **रानीताल** द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत में आय तथा व्यय के आंकडों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु साथ में आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का विवरण तैयार करने में अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए ।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय तथा व्यय के प्राक्कलन को तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नही किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹17.51 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–3–17 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1751284 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पडा है। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चत किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बधित संस्था को किया जाए ।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.57 लाख के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹57200 के स्टाक/स्टोर का क्रय निविदाओं द्वारा किया गया है परन्तु नियमानुसार निविदा सम्बन्धी अन्य औपचारिकताऐं पूर्ण नही की गई हैं जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके । इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टाक/स्टोर का स्टाक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

11 वाउचर प्रस्तुत न करना ₹0.26 लाखः–

ग्राम पंचायत रानीताल की चयनित माह की व्यय वाउचर नास्ति की जांच करने उपरांत पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹26000 की निकासी रोकड़बही में दर्शाई गयी है परन्तु अकेक्षण के दौरान उक्त राशि की व्यय वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये ।

क्रम संख्या	चेक संख्या	दिनांक	खाता संख्या	अनुदान का नाम	वाउचर संख्या	राशि
1	213892	12-03-16	71944 (हि.ग्रा.बैंक)	संसद निधि	107	5000
2	417392	20-12-16	22802 (के.सी.सी.)	राज्य अनुदान	132	21000
					कुल योग	**`₹26000**

अत: उपरोक्त विवरण अनुसार ₹26000 के व्यय वाउचर प्रस्तुत **न करने के कारण स्पष्ट किया जाए व चूक की स्थिति में यह राशि उचित स्त्रोत से वसूल की जाए।**

12 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए । अभिलेख का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1 स्टाक रजिस्टर
2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3 जल प्रभार रजिस्टर
4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर
7 गृह कर वसूली रजिस्टर
8 डाक टिकट रजिस्टर
9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि ।

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

14 विविध अनियमितताऐंः–

14.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की जा रही है ।

14.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, विक्रीकर, लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नही की जा रही है जिस बारे उचित कार्यवाही की जाए।

14.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है । ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जांच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही किया गया है । अतः इस नियम विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नही की गई है ।

16 **निष्कर्ष–** लेखों के रखरखाव में हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट, लेखे,सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुरूप नहीं है व लेखाओं में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)141/2017 खण्ड–1–1846–1849 दिनांक 14.3.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत रानीताल, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881